इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2013—ज्येष्ठ 17, शक 1935

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2013

क्र. एफ-ए-6(ए) 36-2006-1-पांच-(33).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में वेट, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर चुकाने वाले बड़े करदाताओं को पुरस्कृत करने हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ 6 (ए) 36-2006-1-पांच, भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2008 ''मध्यप्रदेश भामाशाह पुरस्कार नियम, 2008'' में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''4. राज्य स्तर पर पुरस्कार दिए जाने के लिए व्यवसाईयों की निम्नलिखित पांच श्रेणियां होंगी:—

(क) राज्य के भीतर उद्योग संचालित करने वाली पंजीयत लिमिटेड कम्पनियां (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को छोड़कर)

(ख) राज्य के भीतर संचालित उद्योग (लिमिटेड कम्पनियों को छोड़कर).

(ग) ट्रेडिंग करने वाली पंजीयत लिमिटेड कम्पनियां.

(घ) लिमिटेड कम्पनियों के अतिरिक्त ट्रेडिंग करने वाले पंजीयत व्यवसायी.

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के पंजीयत उपक्रम (पी.एस.यू.)''.

(2) नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''5. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य स्तर पर पांच श्रेणी के व्यवसाईयों में से प्रत्येक श्रेणी में सर्वाधिक कर जमा करने वाले एक व्यवसाई को पुरस्कृत किया जाएगा. राज्य स्तर पर पुरस्कृत किए जाने वाले प्रत्येक व्यवसाई को रुपये 5 लाख नगद एवं मध्यप्रदेश के भामाशाह [उद्यमी (लिमिटेड कंपनी)/उद्यमी/ट्रेडर (लिमिटेड कंपनी)/ट्रेडर/सार्वजनिक उपक्रम] की पद्वी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा.''

(3) नियम 6 एवं 7 में, शब्द ''तीन'' के स्थान पर, शब्द ''पांच'' स्थापित किया जाए.

(4) नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"9 (1) उपरोक्त पुरस्कारों के अतिरिक्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक जिले में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत विवरण पत्रों के अनुसार सर्वाधिक कर (वेट+केन्द्रीय विक्रय कर + प्रवेश कर) जमा करने वाले पंजीयत व्यवसायी को "उत्कृष्ट करदाता-1, जिला . . . . . " का प्रमाण-पत्र व रुपये 1 लाख नगद पुरस्कार दिया जाएगा. जिले में द्वितीय क्रम के सर्वाधिक कर जमा करने वाले व्यवसायी को "उत्कृष्ट करदाता-2, जिला . . . . . " का प्रमाण पत्र व रुपये 50 हजार का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. जिले में तृतीय क्रम के सर्वाधिक कर जमा करने वाले व्यवसायी को "उत्कृष्ट करदाता-3, जिला . . . . . " का प्रमाण-पत्र व रुपये 25 हजार का नगद पुरस्कार दिया जाएगा. इन पुरस्कारों हेतु शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम को विचार में नहीं लिया जाएगा.

(2) उक्त तीन पुरस्कारों के अतिरिक्त जिले में स्थित सर्वाधिक कर देने वाले शासकीय विभाग, सार्वजनिक उपक्रम (पी.एस.यू.) आदि को प्रमाण पत्र के रूप में एक पुरस्कार दिया जाएगा.

(3) जिला स्तर पर एक पुरस्कार जिले में पंजीयत समस्त व्यवसायी, जो नियमित कर जमा कर नियमित विवरणियां समय पर प्रस्तुत करते हैं तथा जिनकी वार्षिक जमा कर राशि रुपये 25 हजार से कम नहीं है, में से एक व्यवसायी का नाम लॉटरी पद्धति से निकाल कर प्रमाण-पत्र एवं रुपये 25 हजार का नगद पुरस्कार दिया जाएगा.".

(5) नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"10-क. यदि किसी एक ही व्यवसायी को लगातार दो बार नगद पुरस्कतार प्राप्त हो चुका है तो तीसरी बार या उसके पश्चात् नगद पुरस्कार न दिया जाकर केवल प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जायेगा एवं उसके स्थान पर अगले क्रम के व्यवसायी को उस श्रेणी में नगद राशि का पुरस्कार दिया जाएगा.".

(6) ये संशोधन 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रवीन्द्र कुमार चौधरी,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.